भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3065
जिसका उत्तर बृहस्पतिवार 22 मार्च, 2018 को दिया जाना है

भारी उद्योगों के कारण विस्थापित परिवार

3065. श्री तपन कुमार सेन:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रें में स्थापित सरकारी और निजी क्षेत्र के भारी उद्योगों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त अविध के दौरान इस प्रकार के उद्योगों को स्थापित किए जाने के कारण कितने परिवारों को विस्थापित किया गया; और

(ग) इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रें में इनमें से अब तक कितने परिवारों का पुनर्वास किया गया है, तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री

(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख): उद्योग राज्य का विषय है और इसलिए, भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) देश में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के उद्योगों की स्थापना और इसके कारण विस्थापित/पुनर्वासित परिवारों की संख्या के संबंध में कोई केंद्रीकृत आकड़ें नहीं रखता है। भारी उद्योग विभाग की भूमिका केवल उन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रशासन तक सीमित है जो इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है। चूंकि उद्योगों की स्थापना से संबंधित विषय को नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है, अनेक राज्यों ने उद्योगों के विकास और वृद्धि के लिए प्रोत्साहन और योजनाएं बनाई हैं और ये राज्य अपनी प्राथमिकताओं और निवेश के माहौल के अनुसार उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करते हैं। इसलिए, इस प्रकार के ब्यौरे केवल उन्हीं के पास उपलब्ध हो सकते हैं।

******